International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume III, Issue V, Sept-Oct. 2016 Available online at: www.ijaur.com

''एक महान व्यकित्वः डॉ. अम्बेडकर''

डॉ. किशन यादव
एसो. प्रोफेसर
राजनीति विज्ञानविभाग व शोध केन्द्र
बुन्देलखण्ड कॉलेज झांसी (उ.प्र.)

सारांश :– भीमराव रामजी अम्बेडकर अपने समय के जाने – माने लोगों में से थे और उनके जीवन– चरित्र से यह पता चलता है कि किस प्रकार अद्भुत प्रतिभा और उच्च मनोबल से किसी व्यक्ति के जीवन में आई सामाजिक बाधाओं को पार किया जा सकता है। हिन्दु समाज की तथाकथित नीची जाति के परिवार में जन्म लेने के कारण डॉ. अम्बेडकर के जीवन में ये बाधाये समाज ने ही खड़ी की थी। मध्यप्रदेश राज्य स्थित महू में उनका जन्म 1891 में हुआ था। डॉ. अम्बेडकर का राष्ट्रवाद दलितों और निर्धनों के उद्धार के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने इनके लिए समानता का अधिकार और नागरिक अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रीयता के संबंध में उनके विचार केवल गुलाम देशों की मुक्ति तक ही सीमित नहीं हैं, बिल्क वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। उनके अनुसार समता के बिना स्वतंत्रता अधूरा लोकतंत्र है और स्वतंत्रता के बिना समता तानाशाही में परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता और समता देनों का आश्वासन देने वाली, समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। आधुनिक भारत के राजनीतिक चितंन में डॉ. अम्बेडकर का स्थान सर्वोच्चपरि व महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण लेखन, नेतृत्व और रचनात्मक कार्य से भारत के विशाल अछूत समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है।

मुख्य शब्द :– भीमराव रामजी अम्बेडकर, जीवन चरित्र।

प्रस्तावना :–

जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है– डॉ. अम्बेडकर

भीमराव रामजी अम्बेडकर अपने समय के जाने – माने लोगों में से थे और उनके जीवन– चरित्र से यह पता चलता है कि किस प्रकार अद्भुत प्रतिभा और उच्च मनोबल से किसी व्यक्ति के जीवन में आई सामाजिक बाधाओं को पार किया जा सकता है। हिन्दु समाज की तथाकथित नीची जाति के परिवार में जन्म लेने के कारण डॉ. अम्बेडकर के जीवन में ये बाधाये समाज ने ही खड़ी की थी। मध्यप्रदेश राज्य स्थित महू में उनका जन्म 1891 में हुआ था और अपने माता–पिता की वे चौदहवी संतान थे। यह संयोग ही था कि उनके पिताजी ने भारतीय सेना में सेवा की थी और वहीं पर उन्होने मराठी और अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा पायी। इसी वजह से वे अपने बच्चों और विशेष रूप से भीमरावजी कों ज्ञान के अर्जन के लिए प्रेरित करते रहे। 1908 में युवा अम्बेडकर ने बम्बई विश्वविद्यालय से हाईस्कूल की परीक्षा पास की। एक अछूत बच्चे के लिए यह उपलब्धि इतनी विरल थी। कि एक सार्वजनिक सभा में उनका अभिनंदन किया गया। चार साल बाद उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय लेकर स्नातक–परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके तुरन्त बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के महाराजा नें उन्हें छात्रवृत्ति दी। लगभग इसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई (जब वे पांच वर्ष के थे, तब उनकी माताजी का देहान्त हो गया था।) और चार महीने बाद दुखी–मन से अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए अमरीका के लिए खाना हो गए। इसके लिए भी बड़ौदा राज्य के महाराजा ने उन्हे छात्रवृत्ति दी थी। हालांकि, एक अछूत के नाते उनकी यह उपलब्धि पूरे भारत में बेमिसाल थी, लेकिन फिर भी वे इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि ज्ञान ही शक्ति है और इस पूरी शक्ति के बिना वे उन करोंड़ों अछूतों की बेड़ियो को नहीं तोड़ सकते, जिन बेड़ियों ने उन्हें दास की स्थिति में ला दिया था। उस समय तक उन्हें यह व्यक्तिगत अनुभव हो चुका था। कि ये बंधन कितने सशक्त है।

1913 से 1917 तक और फिर 1920 से 1923 अम्बेडकर विदेश में ही रहे और 32 बर्ष की आयु में वे अन्तिम रूप से भारत लौटे, तब तक उन्होंने अपने को जाने–माने प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था।

दलित संघर्ष– इस प्रकार अप्रेल 1923 में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अछुतों और वास्तव में दलित वर्गो के संघर्ष के लिए अपने को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। इस समय से लेकर आजादी तक, भीमराव रामजी अम्बेडकर के जीवन– चरित्र और आधुनिक भारत के इतिहास को अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। उस समय तक भारत में राजनैतिक परिस्थितियां काफी बदल चुकी थीं। गांधी जी अपना नागरिक अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर चुके थे और अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति की वकालत कर रहे थे। परन्तु एक तरफ जहां अम्बेडकर अटूट देशभक्त थे वहीं वे दलितों और गरीबों के मसीहा भी थे। उन्होंने अपने इस संघर्ष के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि राजनैतिक स्वतंत्रता ही दलित वर्गों के बीच सामाजिक एकता स्थापित कर सकती है। उन्होंने गांधी और कांग्रेस पार्टी की ही तरह इस बात पर जोर दिया था कि कोई देश, दूसरे देश पर शासन करने के लिए सक्षम नहीं है और उसी तरह कोई वर्ग इतना अच्छा नहीं हो सकता जो दूसरे वर्ग पर शासन करे। एक तरफ तो वे ब्रिटिश शासन की आलोचना करते रहे और दूसरी ओर उन्होंने दलित वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और कानूनी कमजोरियों को दूर करने का अथक् प्रयास किया 1930 में ही उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि दलित

सुरक्षित रह पायेंगे, चाहे यह व्यवस्था सीमित अवधि के लिए ही हो। उनके इस बात पर दृढ़ रहने के कारण गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ उनका टकराव हो गया। 1932 में यह टकराव खुलकर सामने आ गया। इस बीच डॉ. अम्बेडकर बम्बई में वकालत करने लगे, उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया और वे बम्बई विधान परिषद के लिए नामजद किए गये। उन्होंने लंदन में सम्पन्न तीन गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। 1923 में भारत आकर उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, जिसका काम दलित वर्गों में शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना, उनके आर्थिक हालात सुधारना और उनकी कठिनाईयों को हल करने के लिए उनकी बात सही जगह पहुंचाना था।

पूना पैक्ट– दलित वर्गों की ये शिकायतें काफी गंभीर थीं। उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, सार्वजनिक तालाबों और कुओं से वे पानी नहीं ले सकते थे, उन्हें स्कूल में भर्ती की मनाही थी, आदि आदि। 1927 और 1932 के बीच अम्बेडकर ने पूजा के स्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक स्थानों से पानी लेने के अधिकारों को दिलाने के लिए अहिंसक आन्दोलन चलाये। इनमें से दो अभियान बहुत महत्व के हैं। नासिक में कालाराम मंदिर के अछूतों के प्रवेश को लेकर उन्होंने जो आन्दोलन चलाया था, उसमें वे अन्तगोत्वा सफल रहे। चाउदार टैक अभियान में उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मनुस्मृति को जलाया था। बाद में जब रैगजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल एवार्ड घोषित किया और अगले वर्ष दलित वर्गों को अलग चुनाव क्षेत्र दिय गये तब गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उस समय अम्बेडकर को देशद्रोही कहा गया और उन्हें मारने की धमकी दी गई। बाद में पूना पैक्ट के अन्तर्गत वे इस बात पर सहमत हुए कि यदि उन्हें अलग चुनाव क्षेत्र नहीं दिये जाते तो इसके बदले में संयुक्त चुनाव क्षेत्र दिये जायें और आरक्षित सीटों की संख्या और बढ़ाई जाऐ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय वे दलित वर्गों के एक मात्र नेता के रूप में उभरे।

इसके बाद उन्होंने दलित वर्गों को आहवान किया कि वे अपना जीवन स्तर बढ़ाऐं और अधिक से अधिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें। उनका यह भी विचार था कि हिन्दू धर्म के अन्तर्गत, अछूतों का कोई भविष्य नहीं है और उन्हें अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। 1935 में दलित वर्ग सम्मेलन में उन्होंने यह सार्वजनिक घोषणा की कि, वे बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। इसी वर्ष वे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बम्बई के प्रिंसिपल नियुक्त हुए, उन्होंने अपना मकान बनवाया ओर उनकी पत्नी श्रीमती सविता अम्बेडकर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं।

राजनैतिक अनुभव :
अगले कुछ वर्षों में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, प्रांतीय चुनावों में भाग लिया और बम्बई विधानसभा के लिए चुने गए। इन्हीं दिनों उन्होंने कृषि जागीरदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जोर डाला, औद्योगिक मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकारों की वकालत की, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने का प्रचार किया ओर बम्बई प्रेसीडेंसी में सभाओं और सम्मेलनों को संबोधित किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने नाजीवाद को खत्म करने के लिए भारतीयों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती हों। उन्होंने अनेक विवादास्पद पुस्तकें और लेख लिखे इनमें प्रमुख हैं–Thoughtson Pakistan's, What Congress and Gandhi Have done to Untouchable and Who were the Shudras?
1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को कानूनमंत्री के रूप में मंत्रिमण्डल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तब तक वे संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जा चुके थे। कुछ हफ्तों बाद संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप तैयार करने का काम प्रारूप समिति को सौंपा। डॉ. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष चुने गये। जब वे संविधान निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे, लगभग इसी समय भारत संकट के दौर से गुजर रहा था, भारत का विभाजन हो चुका था। और 1948 को शुरू में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी।

भारत रत्न से अलंकृत : 1948 के शुरू में उन्होंने संविधान के प्रारूप तैयार करने का काम पूरा किया और संविधान सभा में इसको पेश किया। नवम्बर 1949 में कुछ संशोधनों के साथ इसे स्वीकार किया गया। डॉ. अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई और उनके इस काम को बहुत सरहा गया। हालांकि वे सात वर्ष और जीवित रहे लेकिन अधिकृत इतिहास के पन्ने में उन्हें संविधान निर्माता के रूप में ही याद किया जाता रहा। उनकी आदमकद प्रतिमा संसद भवन के प्रांगण में प्रतिष्ठित की गई।
हिन्दू कोड बिल के मामले में सरकार के साथ मतभेद होने के कारण वे राजनीति से लगभग कट से गये और उन्होंने विधिमंत्री के पद से स्तीफा दे दिया। 24 मई, 1956 को उन्होंने बुद्ध जयंती पर घोषणा की कि अक्टूबर के महीने में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। 16 अक्टूबर को उन्होंने सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह में भाग लिया। इसके बाद 6 दिसम्बर को परलोक सिधार गए।
भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को उनकी मृत्यु के चौंतीस वर्ष बाद भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

जाति व्यवस्था और समाज सुधार– जैसे जैसे उपनिवेशवाद के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और प्रबल हुआ, भारतीय समाज में पविभाजक तत्वों के प्रति हमारी जागरूकता और बढ़ती गई। उस समय के सामाजिक सुधार आन्दोलनों में महान विभूतियां सामने आयी। महात्मा फुले, श्री नारायण गर और अन्य सुधारक अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक समस्याओं की जड़ तक नहीं पहुंच सके, हालांकि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के विरूद्ध जो जेहाद छेड़ा था उससे सुधार आन्दोलन को नई दिशा मिली। वे दलित वर्गों को हरिजन कहते थे। उन्होंने हिन्दू समाज में मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर दिया परन्तु उनका

दृष्टिकोण कुल मिलाकर सुधारवादी ही रहा और उन्होंने वर्ण व्यवस्था के सैद्धांतिक आधार में अपना विश्वास बनाये रखा। जबकि इसके ठीक विपरीत अम्बेडकर यह मानते थे कि जाति व्यवस्था से हिन्दू धर्म दूषित हो गया है और चतुवर्ण के आधार पर हिन्दू समाज का पुनर्गठन असम्भव है, क्योंकि इसकी आतंरिक प्रवृत्ति यह है कि यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसलिये उन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से जाति व्यवस्था के सर्वनाश का आह्वान किया।

जाति तत्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यह न तो श्रम विभाजन पर आधारित है और न प्राकृतिक क्षमताओं पर। जाति व्यवस्था जिन खतरनाक सिद्धांतों पर आधारित है उससे लोग मानसिक कुंठा का अनुभव करते हैं। जाति व्यवस्था के कारण बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवसाय और काम धंधे में परिवर्तन करना असंभव होता है और इससे बेकारी की समस्या तीव्र होती है कि यह बस नियति द्वारा तय है और इसमें परिवर्तन असम्भव है। उन्होंने तर्कपूर्ण ढ़ंग से प्रतिपादित किया कि चतुवणय और जाति प्रथा ने भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को स्थाई रूप से अपाहित बना दिया है।

डॉ. अम्बेडकर को इसलिए ब्रिटिश उदारवादी लोकतांत्रिक परम्परा में अटूट विश्वास था उनका यह विश्वास भारतीय संविधान में स्पष्ट उजागर होता है।

- अस्पृश्यता कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है।
- संविधान में अनेक प्रावधान किए गये हैं, जिससे अनुसूचित जातियों, जनजातियों को सामाजिक न्याय दिलाया जा सके। इस बारे में संवैधानिक अनुच्छेद 15, 16, 27, 46, 332, 335, 338 और 340 प्रमुख हैं।
- इसके अलावा उन्होंने संविधान में उल्लेखित प्रावधानों में सभी के लिये मानव सम्मान, एकता, स्वतंत्रता, अधिकारों और नागरिक सुविधाओं पर विशेष जोर दिया।
- डॉ. अम्बेडकर का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि परम्परागत धार्मिक मूल्यों का परित्याग किए जाए और इसके स्थान पर नये विचारों की स्थापना की जाए। 1935 में उन्होंने अपने समुदाय को सलाह दी कि वे हिन्दू धर्म का परित्याग कर दें व किसी और धर्म में एकता और स्वाभिमान को खोजें। उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म को अपनाया।

संविधान निर्माण– डॉ. अम्बेडकर जीवन के हर क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक में लोकतंत्र के पक्षधर थे। वे भारत के पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने कहा कि भारत में पश्चिमी ढ़ंग का लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। उनके अनुसार सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक खुशियां मिले। डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र की अपनी अवधारणा में हरेक व्यक्ति की गरिमा को बहुत महत्व दिया।

डॉ. अम्बेडकर केन्द्र सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदान करके उसे मजबूत बनाना चाहते थे। हालांकि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उनकी इस बात के लिए आलोचना की कि उनके यह विचार उनके इस सिद्धांत के विरूद्ध हैं कि प्रत्येक गांव और व्यक्ति का विकास होना चाहिए और केन्द्रीयकरण की इस प्रवृत्ति से विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को ठेस पहुंचेगी। लेकिन इस क्षेत्र में उन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया था, वे भारत की प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करना चाहते थे। डॉ. अम्बेडकर ने यह जोर देकर कहा कि भारतीय समाज न केवल जाति और वर्गों में बंटा है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय, भाषाई, परम्परागत संस्कृति और विचारों की भी भिन्नता है। इसलिये, प्रादेशिक अखण्डता और प्रशासनिक अनुशासन के लिए एक प्रबल केन्द्र का होना आवश्यक है। उन्होंने अपनी क्रांति को संविधान में विधि और लोकतंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी क्रांति को संविधान में विधि और लोकतंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय संविधान में शक्ति के वितरण के सिद्धांत को प्रमुखता दी।

डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में अमरीका के संविधान से मूल अधिकारों सहित कुछ अन्य प्रावधानों को अपनाया गया। अम्बेडकर के विचार में अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान की आत्मा है। इस अनच्छेद में मूल अधिकारों के पालन की व्यवस्था है। उन्होंने संविधान को सामाजिक परिवर्तन के आधार के रूप में देखा है परन्तु उन्हें इस बात का ख्याल था कि गरीबों को न्याय दिलाना कठिन कार्य है। इसलिये उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम करने के अधिकार का प्रावधान किया।

भाषाई राज्य– अम्बेडकर अनुसार भाषाई राज्य का अर्थ है, ऐसा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से सजातीय हो और ऐसे सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है। जो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए जरूरी है। उनके विचार से भाषाई प्रान्त का उस राज्य की भाषा से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा– संविधान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर राज्य की सरकारी भाषा के आधार पर उनका गठन खतरनाक है। इस तरह राज्य अलग अलग राष्ट्र बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकता और राष्ट्रीय अखण्डता के लिए सभी के लिए एक भाषा होना जरूरी है और वह है हिन्दी। वास्तव में उन्होंने एक भाषा अनेक राज्य फार्मूले का समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि भारत में भाषावाद साम्प्रदायिकता का दूसरा रूप है। उन्होंने छोटे राज्यों का समर्थन किया। उनके अनुसार जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है, अल्पसंख्यकों की बहुलता का अनुपात घटता जाता है। लेकिन इन सारे सुझावों का कोई परिणाम नहीं निकला। अम्बेडकर का अध्ययन करने पता चलता है कि उनके विचार अटल नहीं थे। समय समय पर वे बदलते रहे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राज्यों के पुर्नगठन को निम्न प्राथमिकता दी। उन्होंने बड़े राज्यों का विरोध किया। एक तरफ वे कमजोर और दलित वर्गों पर शक्तिशाली जातियों के अत्याचार से भी आशांकित थे, तो दूसरी ओर वे राष्ट्रीय एकता पर भाषाई राज्यों के नकारात्मक प्रभाव से चिंतित थे।

डॉ. अम्बेडकर ने भारत की दूसरी राजधानी की भी वकालात की। वे चाहते थे कि यह दक्षिण में और यदि संभव हो तो

हैदराबाद में स्थित होनी चाहिए ताकि उत्तर और दक्षिण के बीच राजनैतिक ध्रुवीकरण तथा तनाव से मुक्ति मिल सके।

एक महान विचारक– डॉ. अम्बेडकर आधुनिक भारत के इतिहास में एक महान समाज सुधारक, मानव अधिकारों के पक्षधर और संविधानविद के रूप में याद किए जाते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने दलित जातियों के हितों और उनकी स्वाधीनता को राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। डॉ. अम्बेडकर का राष्ट्रवाद दलितों और निर्धनों के उद्धार के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने इनके लिए समानता का अधिकार और नागरिक अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया। राष्ट्रीयता के संबंध में उनके विचार केवल गुलाम देशों की मुक्ति तक ही सीमित नहीं हैं, बिल्क वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। उनके अनुसार समता के बिना स्वतंत्रता अधूरा लोकतंत्र है और स्वतंत्रता के बिना समता तानाशाही में परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर स्वतंत्रता और समता देनों का आश्वासन देने वाली, समाजवादी व्यवस्था चाहते थे।

आधुनिक भारत के राजनीतिक चितंन में डॉ. अम्बेडकर का स्थान सर्वोच्चपरि व महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण लेखन, नेतृत्व और रचनात्मक कार्य से भारत के विशाल अछूत समुदाय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न की है।

संदर्भ :

1. बसंत मून– डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर– नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 1991
2. हिमांशु राय– युग पुरूष बाबा साहब, डॉ. भीमराव अम्बेडकर समता प्रकाशन, दिल्ली 1990
3. नानक चन्द्र रतू– बी.आर. अम्बेडकर, संस्करण और स्मृतियॉ, सम्मक प्रकाशन, नई दिल्ली 1995
4. डॉ. विमल कीर्ति– बाबा साहब अम्बेडकर के पत्र, राहुल प्रकाशन दिल्ली, 1993?
5. शंकरनन्द शास्त्री–युग पुरूष बाबा साहब अम्बेडकर, गाजियाबाद, 1990